सं.38/86/03-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 5 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संगठित लेखा विभाग के कार्मिकों के लिए 01.01.1996 से वेतनमान – पेंशन का निर्धारण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहन का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संगठित लेखा संवर्गों में विभिन्न पदों के वेतनमानों का, 19.02.2003 से किए जा रहे वास्तविक भुगतानों सहित 01.01.1996 से सैद्धान्तिक (नोशनल) आधार पर उन्नयन किया गया था । 01.01.996 से वेतनमानों के उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप संगठित लेखा संवर्गों के कार्मिकों की पेंशन इत्यादि के निर्धारण संबंधी मामलों से संबंधित इस विभाग के दिनांक 26.04.2004, 08.02.2005 और 05.09.2007 के समसंख्यक का.ज्ञापनों द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए गए थे ।

2. सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियिम 33 और 34 के अनुसार, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की पेंशन की गणना, सरकारी सेवक द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले प्राप्त किए जाने वाले वेतन के आधार पर की जाती है तथा इस प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप में आहरित नहीं किए गए वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाता है । इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप, 1.1.1996 से 18.2.2003 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए संगठित लेखा संवर्गों के कार्मिक अपनी पेंशन के निर्धारण के मामले में उन्नत (अपग्रेडिड) वेतनमानों का लाभ नहीं ले सके ।

3. इस मामले की, वित्त मंत्रालय के परामर्श से समीक्षा की गई है और निम्नलिखित संशोधित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:-

(i) 01.01.1996 से 18.02.2003 के दौरान संगठित लेखा संवर्गों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की पेंशन, 01.01.1996 से सैद्धान्तिक (नोशनल) रूप में दिए गए उन्नत (अपग्रेडिड) वेतनमान के अनुसार नियत की जाएगी । तथापि, 01.01.1996 से 18.02.2003 की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं दिया जाएगा और उच्चतर संशोधित वेतनमान के संदर्भ में पेंशन का वास्तविक रूप से भुगतान, 19.02.2003 से ही किया जाएगा ।

(ii) संगठित लेखा संवर्गों के वेतनमानों के उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप पेंशनभोगी द्वारा सैद्धान्तिक (नोशनल) रूप से आहरित औसतन परिलब्धियों को भी पेंशन की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा लेकिन यह निश्चित रूप से इस शर्त के अध्यधीन होगा कि 01.01.1996 से 18.02.2003 तक की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं दिया जाएगा और उच्चतर औसतन परिलब्धियों के संदर्भ में पेंशन का वास्तविक रूप से भुगतान, 19.02.2003 से ही किया जाएगा ।

(iii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17.12.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/10/98.पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) और दिनांक 11.05.2001 के का.ज्ञा. सं. 45/87/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) (भाग) में निहित अनुदेशों के अनुसार, 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को उन्नत (अपग्रेडिड) वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसा कि इस विभाग के दिनांक 5.9.2007 के समसंख्यक का.ज्ञा. में स्पष्ट किया गया है ।

4. 01.01.1996 से वेतन के सैद्धान्तिक (नोशलन) उन्नयन का उपर्युक्त लाभ, एक विशेष मामले के रूप में संगठित लेखा संवर्गों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को उपर्युक्त पैरा 1 और 2 में उल्लिखित स्थितियों के अन्तर्गत उन्हें हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है । अत: ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्ति की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन सैद्धान्तिक (नोशनल) आधार पर आहरित किया जाता है, इस का.ज्ञा. में निहित अनुदेशों की इसी प्रकार के लाभ दिए जाने के लिए एक पूर्वनिर्णय के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा ।

5. इस विभाग के दिनांक 26.04.2004, 08.02.2005 और 05.09.2007 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण तदनुसार संशोधित माने जाएंगे । अन्य अनुदेश/स्पष्टीकरण जिन्हें इस का.ज्ञा. में विशेष रूप से संशोधित नहीं किया है, अपरिवर्तित रहेंगे ।

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की यू.ओ.सं. 436/ईवी/2008 दिनांक 08.10.2008 द्वारा उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(एम.पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
दूरभाष सं. 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :-

1. सी.ए.जी. (200 प्रतियां)
2. सी.जी.डी.ए. (200 प्रतियां)
3. सी.जी.ए. (200 प्रतियां)
4. संलग्न सूची के अनुसार